दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दिव्यांगजनों (PWD) के लिये **पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार** एक **मानवीय और मौलिक अधिकार** है।

- **पहुँच:** न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15** के तहत सार्वभौमिक पहुँच वाले सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें।
  - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के **नियम 15 में भौतिक वातावरण, परिवहन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** की पहुँच को शामिल किया गया है।
- **कानूनी ढाँचा:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य दिव्यांगजनों (PwD) के अधिकारों की **रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।**
  - **इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाना है, जिसे भारत ने वर्ष **2007 में अनुमोदित किया था**।
  - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें **निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम-से-कम 40% हिस्सा हो।**
- **दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित पहल:** सहायक उपकरण खरीदने/लगाने के लिये दिव्यांगजनों को सहायता, सुगम्य भारत अभियान और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल।

और पढ़ें: दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता बढ़ाना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/accessibility-for-disabled-persons